क्रमांक 9502-3 जी0 एस0-II-70/31245

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, कमीश्नर अम्बाला मण्डल सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी, (सिविल) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट और जिला सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 9 दिसम्बर, 1970 ।

विषय :—सिविल कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए रिआयतें जो सैनिक सेवा में आपात्काल के समय भ[र्ती] हुए थे ।

मुझे निदेश हुआ है कि आप का ध्यान संयुक्त पंजाब के परिपत्र क्रमांक 88-4 जी0 एस0-I-66/9554, दिन[ांक] 21-4-66 के परा 6(III) की ओर दिलाऊं (जिस को हरियाणा सरकार ने अपने परिपत्र क्रमांक 4710-5 जी0 एस0-7[0/] 18998 दिनांक 15 जुलाई, 1970 द्वारा संशोधित किया है) जिस में यह संकेत दिया गया है कि उन व्यक्तियों के बा[रे] में जिन्होंने आपात काल में सेना में काम किया है, नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यून[तम] योग्यताओं में छूट देने में अधिकृत है, यदि उस प्राधिकारी का विचार हो और वह यह प्रमाणित करे कि उस व्यक्ति [की] योग्यताएं उक्त पद की योग्यताओं के बराबर हैं या उसे ऐसे पद के काम का तजरबा है और उन योग्यताओं/तजरबे के आधा[र] पर वह अपने पद के कार्य को भली भांति निपटा सकता है । इस मामले पर आगे विचार किया गया है और यह फैस[ला] किया गया है कि ऐसे केस में नीचे लिखे के आधार पर कार्यवाही की जाए :—

जब कभी किसी आरक्षित रिक्ति की पूर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग या एस0 एस0 एस0 बोर्ड हरिय[ाणा] द्वारा किसी और ढंग से करनी हो तो उस पद की योग्यताओं की ध्यान पूर्वक छान-बीन की जा[नी] चाहिए और यदि सम्भव हो तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम योग्यताओं के प्रश्न पर विशेष[कर] शिक्षा योग्यता को निर्धारित करने पर विचार किया जावे बशर्ते कि उस पद के काम पर कोई प्रति[कूल] प्रभाव न पड़े । दूसरे शब्दों में भूतपूर्व सैनिक ने जो सैनिक सेवा में और प्रशिक्षण के दौरान अनु[भव] प्राप्त किया है और पद के कार्य की आवश्यकता ध्यान में रख कर भूतपूर्व सैनिकों और अन्य व्यक्ति[यों] के लिए भिन्न-भिन्न योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए । इसका अभिप्राय यह है कि यदि कि[सी] हो कि भूतपूर्व सैनिक योग्य अनुभव रखता हुआ पद के कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकेगा तो उ[सके] केस को विचार क्षेत्र से न निकाला जाए केवल इसलिये कि उसके पास मानक शिक्षा योग्यताएं [नहीं] हैं बल्कि उसके केस पर गुणावगुण के आधार पर निरीक्षण होना चाहिए ।

2. मेरी प्रार्थना है कि यह अनुदेश नोट किए जाएं और सभी सम्बन्धित कर्मचारी सावधानी से अनुपालन क[रें] ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,,
हस्ता/-
उप सचिव, सचिवालय स्थापना
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरका[र]

एक प्रति सेवा में भेजी जाती है :—